न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/24/2017

मूलचन्द उर्फ मूला पुत्र उदाराम जाति जांगिड़ ब्राहामण निवासी सूठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर

–वादी

बनाम

1. सुखदेवाराम पुत्र उदाराम
2. भूरामल उर्फ भंवरलाल पुत्र उदाराम
3. मोहनी पत्नी नाथाराम
4. प्रहलाद पुत्र नाथाराम
5. नरेन्द्र पुत्र शिवभगवान
6. सुरेन्द्र पुत्र शिवभगवान
7. बसंती पत्नी शिवभगवान

   समस्त जाति जांगिड़ ब्राहामण निवासीगण ग्राम सूठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर
8. पटवारी हल्का सूठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर
9. नायब तहसीलदार उपतहसील नेछवा जिला–सीकर
10. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज.
11. मैनेजर सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत् उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

–:निर्णयः– **दिनांक–22.05.2018**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि खसरा नम्बर 559 रकबा 2.14 हैक्टेयर वाके ग्राम सूठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 261 रकबा 2.14 हैक्टेयर उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4 है, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/12 है, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का 1/12 हिस्सा है उक्त हिस्से अनुसार वादी एवम् प्रतिवादीगण अपने पैतृक हक, हिस्से अनुसार कब्जा, काश्त करते चले आ रहे है। यह कि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एक ही हिन्दू मिताक्षरा परिवार के सदस्य है।

यह कि खसरा नम्बर 559 रकबा 2.14 हैक्टेयर वाके ग्राम सूठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 261 रकबा 2.14 हैक्टेयर है उक्त आराजी पैतृक कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के पिता उदा पुत्र बींजा के नाम से राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2012 से प्रमाणित है। वादी के पिता उदाराम की मृत्यु होने पर विरासत नामांतरकरण संख्या 57 जो ग्राम पंचायत सूठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर द्वारा दिनांक 17.03.1963 को स्वीकार किया गया था उक्त विरासत नामांतरकरण में उदा के उत्तराधिकार में उसके चार पुत्र जो क्रमशः नाथाराम, सुखदेवा, भूरा एवम् मूला को मानकर विरासत नामांकरण मंजूर किया था उक्त विरासत का नामांतरकरण अमल दरामद में सिर्फ तीन पुत्र नाथा, सुखदेवा व भूरा के नाम से हुआ जो राजस्व कर्मचारियों की द्वारा सहवन से हो गया है जबकि वादी उदा का सबसे छोटा पुत्र दर्ज है परन्तु अमल दरामद में वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ। वादी उदा का विरासतन उत्तराधिकारी कानूनन होने के कारण 1/4 हक, हिस्से का खातेदार, काश्तकार उद्घोषित कर राजस्व रिकार्ड में संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हक व हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हक हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को 1/12 हक व हिस्से का काबिज, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसी अनुरूप संशोधन किया जावें।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा प्रत्येक का 1/4 होने के बावजूद उनका वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज है उक्त गलत राजस्व रिकार्ड में अंकन होने के आधार पर प्रतिवादीगण कभी भी वादी के हक व हिस्से को खुर्द बुर्द कर सकते है इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वादी के हक व हिस्से के रकबे को सुरक्षित रखा जावें तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड की यथास्थित कायम रखें तथा

वादी के हक व हिस्से में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं दे तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाए रखें।

यह कि वादी ने ग्राम पंचायत न्याय आपके द्वार शिविरों में आवेदन किया था परन्तु शिविरों में वादी के हक व हिस्से की उद्घोषणा नहीं होने के कारण वादी को वाद कारण दिनांक 23.05.2017 को उत्पन्न होने के कारण वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सूठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित होने के कारण वाद सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह कि वाद–पत्र उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादी/प्रार्थी इस्तदुआ करता है– (क) कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 559 रकबा 2.14 हैक्टेयर वाके ग्राम सूठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 261 रकबा 2.14 हैक्टेयर में वादी को 1/4 हक व हिस्से एवम् प्रतिवादी संख्या 1 का को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को 1/12 हक व हिस्से का खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावें। (ख) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में दखलंदाजी करने से, विक्रय, रहन, अन्तरण करने करवाने से तादौराने दावा बाज रहे एवम् मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। (ग) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। प्रतिवादीगण सं. 3 ता 9 व 11 पर जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सम्मन जारी हुए। जिनके रजिस्टर्ड रसीदें वादी अभिभाषक द्वारा पेश की गई। प्रतिवादी सं. 10 पर विधिवत तामील हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पत्रावली आदेशिका पर दिनांक 10.04.2018 को वादी ने अंकित किया कि वह कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 व2 ने भी यह अंकित किया दावा डिक्री किया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सुठोठ में पेश हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया। पत्रावली में कैम्प स्थल पर वादी उपस्थित। जिसमें ग्राम पंचायत, सूठोठ द्वारा वादी के पिता स्व. उदाराम का वारिस प्रमाण पत्र भी पेश किया। जिसमें वादी के पिता स्व. उदाराम के कुल दस वारिसान अंकित है जिनमें तीन पुत्र व दो पुत्रियां जीवित है। पत्रावली का पुनः गहनता से अवलोकन किया। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 559 रकबा 2.14 हैक्टेयर जिसके पूर्व खसरा नम्बर 261 रकबा 2.14 हैक्टेयर वाके ग्राम सूठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर का वर्तमान खाता निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त वर्णित आराजी में ग्राम पंचायत, सूठोठ द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र अनुसार उदाराम पुत्र श्री बिन्जाराम के विधिक वारिसान के हक व हिस्से का खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त वारिस प्रमाण–पत्र निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– सूठोठ

Web Copy Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

मूलचन्द उर्फ मूला बनाम सुखदेवाराम आदि

दावा बाबत् उद्‌घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

मुकदमा नम्बर :– 24 / 2017 **निर्णय दिनांक– 24.05.2018**

वादी........व प्रतिवादीगण........... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.05.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 559 रकबा 2.14 हैक्टेयर जिसके पूर्व खसरा नम्बर 261 रकबा 2.14 हैक्टेयर वाके ग्राम सूठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर का वर्तमान खाता निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त वर्णित आराजी में ग्राम पंचायत, सूठोठ द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र अनुसार उदाराम पुत्र श्री बिन्जाराम के विधिक वारिसान के हक व हिस्से का खातेदार, काश्तकार उद्‌घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त वारिस प्रमाण–पत्र निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। रहन यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 22.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– सूठोठ

मुहर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– सूठोठ